5

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. :	MHOME/R /2013/61633	Date of Receipt :	06/11/2013
Type of Receipt :	Online Receipt	Language of Request :	English
Name :	Praveen Jain	Gender :	Male
Address :	103A, Adishwar CHS, Sector-9A, Vashi, Navi Mumbai , Pin:400703		
State :	Maharashtra	Country :	India
Phone No. :	Not Provided	Mobile No. :	+91-9819983708
Email :	cs.praveenjain@gmail.com		
Status(Rural/Urban) :	Not Provided	Education Status :	Not Provided
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	Citizenship Status	Indian
Amount Paid :	10	Mode of Payment	Payment Gateway
Mode(s) of information Supply :	Hard Copy	Request Pertains to :	Yet to be assign to CPIO
Information Sought :	aavedan sanlagna hai		

210 1946 RTI 2013 6/11

6.

दिनांक: ५ नवंबर २०१३

प्रति,
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अधीन सूचना पाने हेतु आवेदन
सन्दर्भ: ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३

महोदय,

कृपया ध्यान दें कि चार महीनों बाद भी आपके मंत्रालय ने उक्त आवेदन में माँगी गई सूचनाएँ प्रदान नहीं की हैं और मेरा आवेदन सामान्य सूझबूझ का प्रयोग किए बिना ही राजभाषा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था और उसके बाद राजभाषा विभाग ने आवेदन मंत्रालय को वापस कर दिया था. मेरे आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि सारे प्रश्न गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बंधित हैं. **आपसे अनुरोध है कि उक्त ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३ का शीघ्र निपटारा करवाएँ और वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करवाएँ.**

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएँ प्रदान करें, सारी सूचनाएँ केवल गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बंधित हैं इसलिए अनुरोध है कि मेरे आवेदन को मुख्यालय के बाहर हस्तांतरित ना किया जाए:

1. प्रधानमंत्री कार्यालय का आदेश 27 अगस्त 1999, राजभाषा विभाग का निदेश 22 सितम्बर 1999 एवं संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों पर राष्ट्रपति महोदय के आदेश वर्ष 2008 में भारत सरकार की वेबसाइटों को द्विभाषी बनाये जाने के लिए कहा गया है और हर वर्ष राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रमों में भी निदेश देता है. फिर भी गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट अंग्रेज़ी अलग बनाई है और हिंदी में अलग बनाई है. साथ ही गृह मंत्रालय ने भारत के परम पावन संविधान के प्रावधानों के विपरीत अंग्रेजी वेबसाइट को प्राथमिकता दी है, अंग्रेज़ी वेबसाइट पहले खुलती है, अंग्रेजी वेबसाइट हमेशा पहले अद्यतित की जाती है जबकि हिन्दी वेबसाइट की घोर उपेक्षा की जाती है. गृह मंत्रालय अपनी मुख्य वेबसाइट को पत्र सूचना कार्यालय की तरह एक साथ दोनों भाषाओं को प्रदर्शित करने वाली द्विभाषी वेबसाइट के रूप में कब आरम्भ करेगा? (जिसमें हिन्दी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए संविधान ने अनुच्छेद ३५१ में भारत सरकार को स्पष्ट निर्देशित किया है,)
2. राजभाषा विभाग के १९९२ के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि हिन्दी का प्रयोग हमेशा अंग्रेज़ी से पहले/आगे/ऊपर किया जाएगा जबकि अभी वेबसाइट पर अंग्रेजी को प्राथमिकता, पहले खुलने की व्यवस्था की गई है, इसलिए बताएँ कि कितने वर्षों में गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट पीआईबी के जैसी 100% द्विभाषी रूप में तैयार कर ली जाएगी, जिसमें हिन्दी पाठ्य सामग्री में हिन्दी फाइलें (पीडीएफ अथवा वर्ड) ही अनुलग्न की जाएँगी?
3. गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट के हिन्दी पृष्ठों पर भी अन्य अंग्रेजी वेबसाइटों के लिंक डाले जाते हैं ना कि संबंधित हिन्दी वेबसाइट के लिंक, ऐसा किस नियम के अधीन किया जा रहा है? नियमानुसार हिन्दी पाठ्य के साथ हिन्दी वेबसाइटों को जोड़ा जाना चाहिए.
4. गृह मंत्रालय ने अपने मुख्यालय में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ विशेष कदम उठाये हैं?
5. गृह मंत्रालय के मुख्यालय से अधीनस्थ निकायों/ संस्थानों/कार्यालयों को पिछले दो वर्षों में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ विशेष निर्देश जारी किए गए?
6. गृह मंत्रालय के मुख्यालय की हिन्दी सलाहकार समिति एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठकें कब हुई थीं और अगली बैठकें कब होने वाली हैं?
7. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में कितने अधिकारी और कार्मिक केवल अंग्रेजी में काम करते हैं?
8. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में राजभाषा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कितने अधिकारी नियुक्त किए गए हैं?

9. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में प्रयोग में लायी जा रही निम्नलिखित मदों में से कितनी द्विभाषी और कितनी केवल अंग्रेजी में बनायी गई हैं, अलग २ संख्या बताएँ:

क. पत्र-शीर्ष,

ख. अधिकारियों के आगंतुक -पत्र (विजिटिंग कार्ड),

ग. लिफ़ाफ़े,

घ. प्रवेश-पास,

ङ. रबर की मुहरें

च. अधिकारी नामपट्ट

छ. अधिकारी -कार्मिक परिचय-पत्र

ज. फॉर्म/आवेदन-पत्रों के प्रारूप

झ. ऑनलाइन फॉर्म

Dir (Admn) CSO

10. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में कौन से कार्य मूल रूप से हिन्दी में किए जाते हैं, सूचित करें?

11. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय में द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत समग्रतः जारी १) **प्रतिवेदन, २) प्रशासकीय आदेश, ३) कार्यालचीन ज्ञापन, ४) परिपत्र, ५) सूचना, ६)अधिसूचना, तथा ७)एंट्री फॉर्म** की अलग-२ कुल संख्या सूचित करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) में जारी किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

12. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों, अनुज्ञापत्रों और निविदा-प्ररूपों की अलग-२ कुल संख्या सूचित करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) में तैयार किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

13. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा पिछले दो वर्षों में कब-२ राजभाषा अनुपालन की त्रैमासिक रिपोर्टें राजभाषा विभाग को भेजी गई?

14. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्तियाँ मूल रूप से किस भाषा में लिखी जाती हैं और उसका अनुवाद किस भाषा में किया जाता है?

15. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा हिन्दी प्रेस विज्ञप्तियाँ किस किस को भेजी जाती हैं?

16. गृह मंत्रालय के कई अधीनस्थ कार्यालयों/ब्यूरो/आयोगों/संस्थानों आदि ने अपने प्रतीक चिह्न (लोगो) एवं वेबसाइटें राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अब तक केवल अंग्रेजी में ही बनाई हैं, इसके सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के किस अधिकारी को शिकायत की जानी चाहिए?

आवेदक

ह/-

प्रवीण जैन
ए-103, आदीश्वर सोसाइटी
सेक्टर 9ए, वाशी
नवी मुंबई - ४००७०३

टीप: आवेदन शुल्क १० रुपये का ऑनलाइन भुगतान

सं. II-18015/51/2013-एन.एम./एएनओ-II

भारत सरकार

गृह मन्त्रालय

नक्सल प्रबंधन विभाग

(नक्सल विरोधी अभियान स्कंध)

कमरा सं. 210-ए, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली, दिनांक 01.01.2014

सेवा में,

श्री प्रवीण जैन,
ए-103, आदीश्वर हाउसिंग सोसायटी,
श्री दिगंबर जैन के पीछे, सेक्टर-9ए,
वाशी, नवी मुम्बई - 400703

विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन ।

संदर्भ इस मंत्रालय का संवाद संख्या 21020/1/2012-हिन्दी दिनांक 09.12.2013 है जिसके माध्यम से आपका उपरोक्त आवेदन दिनांक 05.11.2013 के बिन्दु 11 एवं 12 का जवाब देने हेतु इस स्कंध को दिनांक 18.12.2013 को श्री अवधेश कुमार मिश्र, निदेशक (राजभाषा) और केन्द्रिय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. उपरोक्त आवेदन के बिंदु 11 एवं 12 के माध्यम से अप्रैल 2013 से अक्टुबर 2013 तक हिंदी व अंग्रेजी में जारी किए गए प्रतिवेदन, प्रशासकीय आदेश, कार्यालीय ज्ञापण, परिपत्र इत्यादि के बारे जानकारी मांगी गई है। इस संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि इस तरह के पत्रों को जारी करने का कार्यक्षेत्र इस स्कंध के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः इस स्कंध की सूचना शून्य मानी जाए।

3. उक्त आवेदन से संबंधित पुनरावेदन (Appeal), यदि आवश्यक हो, तो इस आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्तर्गत श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव (नक्सल विभाग), कमरा सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को किया जा सकता है।

(दीपक कुमार केडिया)
निदेशक (एएनओ-II) & सीपीआईओ
टेली.फैक्स: 2309 2670